International Journal of Hindi Research
ISSN: 2455-2232; Impact Factor: RJIF 5.22
Received: 30-01-2021; Accepted: 15-02-2021; Published: 12-03-2021
www.hindijournal.com
Volume 7; Issue 2; 2021; Page No. 30-31

बुन्देलखण्ड क्षेत्र में बालिकाओं के शैक्षिक पिछड़ेपन में विद्यालयों की भूमिका

नीरज मिश्रा
शोध छात्रा, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश
शिक्षा वह ज्योति है जो विश्व देश व राज्य के सभी पक्षों को ज्योर्तिमय करती है। शिक्षाऐसी होनी चाहिए जो निरक्षरता की समस्याओं के प्रतिऐसी धारणाओं का तथा व्यवहार का विकास करने में सहायक तथा व्यक्तिएवं राष्ट्र के लिए हितकारी हो। वर्तमान युग में स्त्री शिक्षा का होना अनिवार्यता बन गई है और सम्पूर्ण विश्व के सर्वांगीण विकास के लिए स्त्री शिक्षा का होना अति आवश्यक है।

मूलशब्द: क्षेत्र, शैक्षिकता, पिछड़ापन

प्रस्तावना
स्वतन्त्र भारत में नारी की सामाजिक स्थिति में क्रान्तिकारी परिवर्तन हो रहा है। वह जिन बन्धनों में बंधी हुई थी, वे शनैः–शनैः ढ़ीले होते जा रहे हैं। उनके सम्बन्ध में पुरूषों का दृष्टिकोंण बदल रहा है। उनकी समस्याऐं भी बदल रहीं हैं। नारी जाति ने वास्तविक महत्व को जानना और पहचानना शुरू कर दिया है और वह अपनी गिरी हुई दशा के प्रति सचेत हुई है। आधुनिक समय में स्त्रियों का कार्य घर और सन्तान पालन से कहीं आगे हैं। वह अब अपने निजी व्यवसाय अपना रही है और समान विकास के सभी पहलुओं के उत्तरदायित्व में पुरूषों का हाथ बंटा रहीं हैं।
महिलाओं को अधिकतर सम्पन्न बनाने की प्रक्रिया के अंश के रूप में उसका इस प्रकार निर्मा किया जाय कि वे समुदाय में पुरूषों के साथ मिलकर कार्य करने में समर्थ हों। महिलाओं के अधिकार सम्पन्न बनाने में महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता के साथ महिलाओं के स्वास्थ्य का विषय भी शामिल होना चाहिए। कार्य योजना में बड़े पैमाने पर प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम भी शुरू किए जाय जिससे अधिकतर महिलाओं को साक्षर बनाया जा सके।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात स्त्री शिक्षा का विकास
स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश में हुए आर्थिक–सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों में परिवर्तन की चर्चा करते हुए आयोग ने लिखा है कि परिवर्तनों ने हमारे विश्वविद्यालयों के कार्यों और उततरदायित्वों में वृद्धि कर दी है। विश्वविद्यालय समाज सुधार के कार्य में अपना योगदान दे सकते हैं। अतः इन्हें दूरदर्शी, बृद्धिमान और बौद्धिक साहस रखने वाले व्यवक्तियों का निर्माण करना चाहिए।
विश्वविद्यालय का शिक्षण स्तर उठाने के लिए विश्वविद्यालय प्रदेा की न्यूनतम योग्यता इण्टरमीडियट पास होनी चाहिए। शैक्षणिक विवविद्यालय में 3000 सम्बद्ध कालेजों में 1500 से अधिक छात्रों का नामांकन नहीं होना ाहिए। परीक्षा दिवसों को छोड़करएक वर्ष में कम से कम 180 दिन शिक्षण कार्य होना चाहिए। स्नात्कोत्तर कक्षाओं में विचार गोष्ठियों की योजना क्रियान्वित की जाय। शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु 55 वर्ष के स्थान पर 60 वर्ष होनी चाहिए, जो कि विशेष स्थिति में 64 वर्ष भी हो सकती है। कृषि शिक्षा को प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा क्रम में प्रमुख स्थान देना चाहिए। वाणिज्य की शिक्षा के अन्तर्गत बी0काम0 की शिक्षा प्राप्त करते समय विद्यार्थियों को 3 या 4 फर्मों में कार्य के अवसर देना चाहिए।
स्वतंत्र भारत का यह पहला आयोग है, जिसने उच्च शिक्षा के सभी पक्षों का पूर्ण अध्ययनएवं चिन्तन के उपरान्त अपने विचार प्रकट किए। आयोग ने गिरते हुए शिक्षण स्तर, अनुपयोगी पाठ्यक्रम, दयनीय शिक्षा, पथ भ्रमित विद्यार्थी, परीक्षा विधि, ग्रामीण शिक्षा आदि पर व्यवहारिक सिफारिशें की गयी हैं। इन सुझावों में से कुछ को कार्यान्वित किया गया है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) और स्त्री शिक्षा
राष्टीय शिक्षा नीति का उद्देश्य राष्ट्र की प्रगति को सुदृढ़ करना था तथा हर स्तर की शिक्षा को ऊँचा उठाना था। साथ ही उस शिक्षा नीति को शिक्षा को जनजीवन के साथ जोड़ने पर ध्यान दिया गया था।
1986 की नीति लागू होने के बाद देश में शिक्षा का व्यापक प्रसार हुआ। 90 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण जनसंख्या के लिएएक किलोमीटर के भीतर प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध कराये गए तथा अन्य स्तरों पर भी शैक्षिक सुविधाओं में वृद्धि है। स्नातक स्तर की कक्षाओं के पाठ्यक्रम बदलने की प्रक्रिया भी प्रारम्भ हुई है। आने वाले दर्शकों में जनसंख्या की बढ़ती हुई गति पर भी नियंत्रण की आवश्यकता है। यह समस्या महिलाओं के शिक्षित होने पर ही हल हो सकती है।
इन नई चुनौतियों से निपटने के लिएएक नई शिक्षा नीति 5 मई को लोकसभा तथा 13 मई को राज्य सभा द्वारा पारित की गयी जिसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1986) कहते हैं।

उद्देश्य
बुन्देलखण्ड सम्भाग में 1950–51 से लेकर 1990–91 की अवधि के 40 वर्षों में स्त्री शिक्षा की संख्यात्मक प्रगति का अध्ययनएवं मूल्यांकन करना।

अध्ययन पद्धति
यह अध्ययन बुन्देलखण्ड क्षेत्र पर किया गया है जिसमें पाँच जिले जालौन, हमीरपुर, बाँदा, ललितपुर, झाँसी शामिल हैं।

परिणाम

सारिणी 1: बुन्देलखण्ड क्षेत्र में जिलेवार महाविद्यालयों की संख्या

जनपद	महाविद्यालयों की संख्या
जालौन	5
हमीरपुर	4
बाँदा	5
ललितपुर	2
झाँसी	4

उत्तर प्रदेश की शिक्षा सांख्यिकी, राज्य शैक्षिक अनुसंधानएवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ, पृ0सं0 39 सन् 1994–95 पृ0सं0 44 प्रकाशन जगमोहन प्रिंटर्स 29 सम्मेलन मार्ग, इलाहाबाद।
उत्तर प्रदेश में 436 महाविद्यालय हैं व उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में बालकों के 5675 विद्यालय हैं और बालिकाओं के 962 विद्यालय हैं तथा सीनियर बेसिक विद्यालय में 12037 विद्यालय लड़कों के 3500 विद्यालय लड़कियों के

हैं। सम्पूर्ण स्कूलों की संख्या 15546 हैं और जूनियर बेसिक विद्यालय (कोयड़ों) की संख्या 79522 हैं। इस सारणी से स्पष्ट होता है कि जालौन, हमीरपुर, बांदा, ललितपुर व झाँसी जिले में महाविद्यालयों व विद्यालयों तथा स्कूलों की संख्या उत्तर प्रदेश की अपेक्षा काफी कम है।

सारिणी 2: बालिकाओं के विवाह में दहेज की समस्या

	प्रतिशत
सहमत	40
असहमत	40
न सहमत न असहमत	20

इस प्रश्न से सहमत व्यक्तियों का प्रतिशत 40.0 और असहमत 40.0 रहा, न सहमत न असहमत प्रश्न के उत्तरों में 20.0 प्रतिशत व्यक्तियों का प्रतिशत रहा।

सारिणी 3: स्कूलों व बच्चों के पास शैक्षिक उपकरणों की कमी होना

	प्रतिशत
सहमत	45
असहमत	30
न सहमत न असहमत	25

इस प्रश्न से सहमत व्यक्तियों का प्रतिशत 45.0 और असहमत 30.0 रहा, न सहमत न असहमत प्रश्न के उत्तरों में 25.0 प्रतिशत व्यक्तियों का प्रतिशत रहा।

निष्कर्ष

बुन्देलखण्ड क्षेत्र पिछड़ा होने के कारण शिक्षा का स्तर जहां बढ़ता गया और विश्वविद्यालय की स्थापना होने पर उससे सम्बंधित पांचों जिलों में काफी कालेज खोले गए जिसमें बालिकाओं की शिक्षा का स्तर अच्छा होता गया।

सुझाव

उत्तर प्रदेश में बालिकाओं के शैक्षिक पिछड़ेपन का समाज शास्त्रीय अध्ययन।
पूर्वांचल में बालिकाओं के शैक्षिक पिछड़ेपन का समाजशास्त्रीय अध्ययन।
उत्तरांचल प्रदेश में बालिकाओं के शैक्षिक पिछड़ेपन का सामाजशास्त्रीय अध्ययन।

संदर्भ सूची

1. नायक, जे0पी0 (1972). एलीमेंटरीएजूकेशन इन इण्डिया,एलाइड पब्लिशर्स, बम्बई, 1972.
2. निसकौल, के0 (1976). वूमैनएण्ड गर्ल्स प्रोटेक्ट्स, दया पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 1976.
3. न्यूमैन (1995). आधुनिक भारतीय शिक्षा ईगल बुक इन्टरनेशनल, मेरठ, 1995.